न्गार पंचायत रिवालसर जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 04/2013 से 03/2015

1. प्रारम्भिक :–

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिसों के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 255 (1) में संशोधन होने व प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 1–376/81 फिन (एल0ए0)–खण्ड–IV दिनांक 16.10.2008 द्वारा नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों क`लेखाओं के अंकेक्षण का दायित्व स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत नगर पंचायत रिवालसर जिला मण्डी के अवधि 4/13 से 3/15 के लेखाओं का अंकेक्षण किया गया। अंकेक्षण अवधि 4/13 से 3/15 के दौरान नगर पंचायत रिवालसर के अध्यक्ष एवं सचिव निम्नानुसार थे।

अध्यक्ष

क्र0 सं0	नाम	अवधि
1.	श्री बंसी लाल ठाकुर	01.04.2013 से 31.03.2015

सचिव

क्र0 सं0	नाम	अवधि
1.	श्रीमति उर्वसी वालिया	01.04.2013 से 31.03.2015

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः–

नगर पंचायत रिवालसर के लेखाओं अवधि 4/13 से 3/15 के अंकेक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्नलिखित है।

क्र0 सं0	गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	पैरा सं0	राशि (लाखों में)
1.	दिनांक 31.03.2015 तक अनुदान की अनुपयुक्त राशि	5(क)	253.25
2.	दिनांक 31.03.2015 तक गृह कर की वसूली योग्य शेष राशि	6(ख)	35.58
3.	दिनांक 31.03.2015 तक दुकानों के किराए के रूप में वसूली योग्य शेष राशि	7	0.96
4.	वित्तीय कुप्रबन्धन के कारण ब्याज की हानि	9	10.69
5.	निर्माण कार्य बिलों से लेबर सैस की कटौती न करना	16	0.32
6.	ट्रेक्टर की खरीद पर निरर्थक व्यय	17	2.45

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः–

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर की गई कार्रवाई का अवलोकन करने के उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण के **परिशिष्ट "अ"** पर दर्शाई गई है। यह देखने में आया है कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर पंचायत द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई थी जो अत्यन्त चिन्ताजनक है। अतः पंचायत इन लम्बित पैरों के निपटारे हेतु विशेष अभियान/कार्रवाई सुनिश्चित करे तथा अनुपालना से यथासमय इस विभाग को अवगत जायें ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण सम्भव हो सके।

2. वर्तमान अंकेक्षणः–

नगर पंचायत रिवालसर के अवधि 4/13 से 3/15 के लेखाओं का अंकेक्षण एंव निरीक्षण श्री चन्द्रेश हाण्डा सहायक नियन्त्रक व श्री ध्रुव राज कनिष्ठ लेखा परिक्षक द्वारा दिनांक 15.7.2015 से 5.8.2015 के दौरान रिवालसर में किया गया। विस्तृत जांच हेतु आय के लिए माह 4/13 तथा 4/14 तथा व्यय के लिए माह 5/13 व 6/14 के लेखाओं का चयन किया जिसके परिणामों को आगामी पैरा ग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण नगर पंचायत द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं व अंकेक्स्सण में प्रस्तुत अभिलेख के आधार पर किया गया है। नगर पंचायत द्वारा प्रदान की गई किसी भी गलत सूचना एंव सूचना प्रदान न करने के लिए स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग का उत्तरदायित्व नहीं होगा क्योंकि संस्था का अंकेक्षण कार्य चयनित मासों तक ही सीमित है।

3. लेखा परीक्षा शुल्कः–

नगर पंचायत के लेखाओ अवधि 4/13 से 3/15 को अंकेक्षण करने का शुल्क ₹ 30,600/– आंका गया। सचिव नगर पंचायत रिवालसर को सहायक नियन्त्रक (लेखा परीक्षा) की अधियाचना संख्या फिन (एल ए) एस0 एम0/658 दिनांक 4–8–15 द्वारा अकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग शिमला–9 हि0प्र0 को भेजने का अनुरोध किया गया है। नगर पंचायत द्वारा यह राशि ड्राफ्ट संख्या 165348 दिनांक 11.8.15 द्वारा निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग को भेज दी है।

4. वित्तीय स्थितिः–

सचिव नगर पंचायत द्वारा परिशिष्ट करवाई गई सूचना अनुसार नगर पंचायत द्वारा रिवालसर की अवधि 4/13 से 3/15 की अपने स्त्रोतों व अनुदान की वित्तीय स्थिति का विवरए निम्नानुसार है।

वर्ष 2013–14

	प्रारम्भिक शेष	**प्राप्ति**	**कुल**	**व्यय**	**अन्तिम शेष**
स्व स्त्रोत	1066305	1680315	2746620	669902	2076718
अनुदान	5315538	8775900	14091438	8421880	5669558
	6381843	10456215	16838058	9091782	7746276

वर्ष 2014–15

	प्रारम्भिक शेष	**प्राप्ति**	**कुल**	**व्यय**	**अन्तिम शेष**
स्व स्त्रोत	2076718	2508961	4585679	1106701	3478978
अनुदान	5669558	26496871	32166429	6841569	25924860
	7746276	29005832	36752108	7948270	28803838

4.1 बैंक समाधान विवरणः–

1.	दिनांक 31.3.2015 को रोकड़ वही का अन्तशेष	28803838
	जमा :– चैक संख्या 7977726 दिनांक 11.4.14 को जारी किया गया, लेकिन 31.3.15 तक भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया	875
	एच0डी0एफ0सी0 बैंक द्वारा दिनांक 30.9.14 को प्रदत्त बयाज की राशि 274068 को रोकड़ में 274000 दर्ज करने के कारण रोकड़ वही में कम दर्ज की गई राशि	68
2.	रोकड़ वही के अनुसार दिनांक 31.3.15 तक बैंकों में जमा राशि	28804781
3.	बैंक खातों में दिनांक 31.3.15 तक शेष राशि	
	(i) पंजाब नेशनल बैंक खाता सं0 72815	₹5371071
	(ii) हि0प्र0 को–ओपरेटिव बैंक खाता सं0 487	₹2048813
	(iii) एच0डी0एफ0सी0 बैंक खाता सं0 4984	₹21334907
4.	रोकड़ वही व बैंक खातों में अन्तर	शून्य

4.2 सावधि जमा योजनाः–

न्गर पंचायत दिनांक 31.3.15 को मात्र ₹5000 सावधि जमा योजना में निवेशित थी, जिसका विवरण **परिशिष्ट "ग"** में दिया गया है।

4.3 विविध बैंक खातेः—

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा सामान्य रोकड़ वही से सम्बन्धित बैंक खातों के अतिरिक्त निम्न विवरणानुसार भी बैंक खाते खोले गए थे तथा इनमें प्रत्येक के आगे दर्शाई गई राशियां 31.3.15 को शेष थीं, लेकिन इन खातों में किए गए लेन—देन का रख—रखाव बैंक पासबुक के आधार पर किया गया था। इन खातों के सन्दर्भ में रोकड़ वही का अनुरक्षण नहीं किया गया था, जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए। इन बैंक खातों की रोकड़ वहियां तैयार करके अनुपालना से इस विभाग को सूचित किया जाए।

क्र0 सं0	रिवालसर स्थित बैंक	खाता सं0	31.3.15 को शेष (₹)	प्राप्ति स्त्रोत
1.	हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक	3193	261940	ग्रैच्यूटी
2.	हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक	2175	626374	पैंशन
3.	हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक	8322	504836	सी0पी0एफ0
4.	हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक	2178	683356	प्रतिभूति

5. अनुदान :—

अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार अंकेक्षण अवधि में प्राप्ति व व्यय की गई अनुदानों की विवरणी **परिशिष्ट "छ"** पर दर्शाई गई है।

5.1 दिनांक 31.3.2015 तक अनुदान राशि ₹253.25 लाख का उपयोग न करनाः—

अनुदानों की विवरणी के अवलोकन पर पाया गया कि वर्ष 3/2013 तक प्राप्त अनुदानों से 31.3.2015 तक ₹1035317 वर्ष 2013—14 में प्राप्त अनुदानों से 31.3.2015 तक ₹650000 व वर्ष 2014—15 में प्राप्त अनुदानों से 31.3.2015 तक ₹23639543 कुल ₹25324860 का उपयोग नहीं किया गया। अतः इन अनुदानों का नियमानुसार उसी उद्धेश्य हेतु शीघ्र उपयोग किया जाना सुनिश्चित किया जाए, जिस उद्धेश्य हेतु इन्हें स्वीकृत किया गया था तथा इनके उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित विभाग को प्रेषित किए जाएं। अन्यथा अनुपयुक्त राशियों को सम्बन्धित विभाग को प्रत्यार्पण किया जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

6. ₹35.58 लाख गृह कर के रूप में वसूली योग्य राशि शेष :—

अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.3.2015 तक ₹3558258 गृह कर के रूप में वसूली योग्य राशि शेष थी जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट**

"ण" में दिया गया है। इस वसूली हेतु नियमानुसार ठोस कदन उठाए जाएं। अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6.1 गृह कर वसूली से सम्बन्धित अभिलेख की जांच पर पाया गया कि परिशिष्ट "च" में दिए गए विवरणानुसार माह 4/2013 के दौरान पंचायत के गृह करदाताओं से जी–8 के माध्यम से गृह कर की वसूली की गई। परन्तु गृह कर वसूली रजिस्टर में इन वसूलियों की प्रविष्टि नहीं की गई। अतः वसूली रजिस्टर में प्रविष्टि न लेने का औचित्य स्पष्ट किया जाए। आन्तरिक जांच के उपरान्त यथास्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएं।

7. दिनांक 31.3.2015 तक दुकानों के किराये राशि ₹0.96 लाख वसूली हेतु शेषः–

अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.3.2015 को दुकानों के किराये की राशि ₹96344 वसूली योग्य शेष थी, जिस का विवरण **परिशिष्ट "ज"** में दिया गया है। हिमाचल प्रदेश म्यूनिशिपल एक्ट 1994 की धारा 258(1)(वी)2 के अनुसार यदि प्राप्ति योग्य प्राप्ति योग्य राशि 15 दिन तक प्राप्त नहीं होती है तो देयकर्ता को मांग पत्र दिया जाना अपेक्षित था व उसके बाद भी यदि राशि प्राप्त नहीं होती है तो उसे कानूनी तौर पर वसूली "as land revenue" की जा सकती थी। इस सन्दर्भ में नियमानुसार कार्रवाई न करने के बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस राशि की वसूली हेतु ठोस कदम उठाए जाएं।

8. मोबाईल टावर की वार्षिक रिन्यूअल फीस की मांग न करनाः–

प्रधान सचिव (टी0एड0सी0पी0) हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या टी0सी0पी0एफ (10)–6/2015 दिनांक 1.9.2006 द्वारा मोबाईल कम्यूनिकेशन टावरों को म्यूनिसिपल क्षेत्र में स्थापित करने हेतु नीति में विनिर्दिष्ट दिशा–निर्देशों के अन्तर्गत पालिका क्षेत्र में टावर स्थापित करने की स्वीकृति पालिका से लेने पर स्थापना शुल्क ₹10000 प्रति टावर तथा वार्षिक रिन्यूअल फीस ₹5000 प्रतिवर्ष की दर से वसूल की जानी अपेक्षित थी।

नगर पंचायत क्षेत्र में भारत संचार निगम द्वारा एक मात्र टावर स्थापित किया गया था। परन्तु गत कई वर्षों से रिन्यूअल फीस ₹5000 प्रतिवर्ष की दर से वसूल नहीं की गई। इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा आपेक्षित राशि सम्बन्धित विभाग से वसूली कर के पंचायत खातें में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए।

9. वित्तीय कुप्रबन्धन के कारण ब्याज की राशि ₹10.69 लाख की हानिः–

निदेशक शहरी विकास हिमाचल प्रदेश से एच0डी0आई0एस0एम0टी के अन्तर्गत नगर पंचायत को दिनांक 4.4.2014 को पंजाब नेशनल बैंक खाता 2815 में राशि ₹21375 प्राप्त हुई।

यह राशि 17.5.2014 को सुन्दरनगर स्थित एच0डी0एफ0सी0 बैंक को हस्तांतरित की गई, लेकिन एच0डी0एफ0सी द्वारा दिनांक 6.6.2014 को यह राशि जमा दर्शाई गई। यह राशि 20 दिन तक किस अवस्था में रही के बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं है। यह राशि 1 वर्ष से अधिक अवधि तक बैंक के बचत खाते में जमा रही, जिस पर बैंक द्वारा मात्र 4 प्रतिशत का ब्याज दिया गया, यदि यह राशि 1 वर्ष तक सावधि जमा योजना में जमा की जाती तो इस राशि पर 9 प्रतिशत की दर से ब्याज अर्जित होता। अतः वित्तीय कुप्रबन्धन के कारण इस राशि पर 9% -4%=5% की दर से राशि ₹21375000X5%= ₹1068750 की हानि हुई। अतः राशि को उक्त अवधि के लिए सावधि जमा योजना में निवेश न करने कारणों को स्पष्ट करते हुए उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाए। यह मामला निदेशक शहरी विकास के ध्यान में यथोचित कार्रवाई हेतु लाया जाता है।

10. सी0पी0एल न्योक्ता अंशदान की राशि अनियमित रख–रखावः–

श्री अजय शर्मा कनिष्ट अभियन्ता दिनांक 11.6.2010 से 17.3.2014 तक नगर पंचायत सरकाघाट में कार्यरत रहे व उनके व्यक्तिगत सी0पी0एफ0 बैंक खाते में अपना हिस्सा व नियोक्ता हिस्सा जोड़कर राशियां जमा की गई, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

माह	**जमा की गई राशि**
6/2010 से 9/2011	59344
18.10.2011	4676
11/2011	4676
4/2012 से 8/2012	5038x5=25190
9 से 11/2012	5260x3=15780
12/2012 से 3/2013	6004x4=24016
4.7.2014 को अन्य जमा	47548
कुल	**₹181230**

नगर पंचायत सरकारघाट द्वारा उपरोक्ता जमा राशि ₹181230 में से आधा ₹90615 कर्मचारी का अपना हिस्सा व शेष ₹90615 नियोक्ता का हिस्सा जोड़कर कुल राशि कर्मचारी के सी0पी0एफ0 बैंक खाते में जमा की गई। जोकि नियमानुसार उचित नहीं थी। अतः न्योक्ता अंशदान की राशि ₹90615 को कर्मचारी के सी0पी0एफ0 (बैंक खाते) से निकालकर नगर

पंचायत के खाते में जमा की जाए व सी0पी0एफ0 व वही में नियोक्ता हिस्सा की प्रविष्टि करना सुनिश्चित करें।

उसी प्रकार श्रीमति रशिम शर्मा लिपिक ने नगर पंचायत रिवालसर व श्रीमति प्रेम लता, लिपिक ने नगर पंचायत सरकाघाट में लिपिक के पद पर एक ही समय में नियमित सेवा शुरू की। श्रीमति प्रेम लता दिनांक 6.9.2010 से स्थानान्तरण के बाद नगर पंचायत रिवालसर में कार्यरत हैं। दिनांक 1.7.2015 को श्रीमति रशिम के सी0पी0एफ0 बैंक खाते में ₹131568 (अपना हिस्सा) व श्रीमति प्रेम लता के सी0पी0एफ0 बैंक खाते में ₹240748 जमा है। श्रीमति प्रेम लता के सी0पी0एफ0 बैंक खाते में माह 8/2010 तक सरकाघाट में अपना हिस्सा व नियोक्ता हिस्सा जमा है व नगर पंचायत रिवालसर में माह 9/2010 के बाद उनके खाते में अपना हिस्सा जमा किया गया और नियोक्ता हिस्सा नगर पंचायत रिवालसर के खाते में जमा है। अतः 8/2010 तक इन कर्मचारियों को सी0पी0एफ0 (बैंक खाते) से नियोक्त अंशदान की राशि की गणना करने के पश्चात निकासी करके नगर पंचायत के न्योक्ता अंशदान (सी0पी0एफ0) के खाते में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए।

11. निर्माण कार्य को निर्धारित मात्रा में विचलन राशि का स्वीकृति बिना भुगतान करनाः—

निर्माण कार्यों से सम्बन्धित बिलों की पड़ताल में पाया गया कि कुछ कार्य मदों का निष्पादन निर्धारित विचलन की प्रतिशतता से भी अधिक मात्रा में अनियमित रूप से सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना किया गया। जबकि निष्पादन के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य था। निम्न निर्माण कार्य में अनुबन्ध में निर्धारित कार्य मात्रा से अधिक मात्रा का कार्य बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किए निष्पादित करना अपने आप में एक गम्भीर अनियमितता है। इस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए व अनियमित तरीके से किए गए व्यय को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमित किया जाए।

क्र0 सं0	कार्य का नाम	माप पुस्तिका	सक्षिप्त मद	अनुबन्ध मात्रा	निष्पादित मात्रा	अधिक मात्रा	दर	कुल₹	प्रतिशतता अधिक
1.	C/o Rain Shelter around lake	20/90	Steel work trusses & frame work	27.66 Qtls.	47.30 Qtls.	19.64 Qtls.	7900	373670	71%
2.	C/o Rain Shelter around lake	20/90	B.P. Sheet	6.53 Sqm.	40.54 Sqm.	30.01 Sqm.	700	28378	521%
3.	C/o Fish	20/65	Steel	20.92	39.92	19.00	7550	301396	91%

	feeding point		work trusses & frame work	Qtls.	Qtls.	Qtls.			

12. निर्माण कार्य को अनियमित विभाजन करना:–

नगर पंचायत के वार्ड नम्बर छह में एक हाई मिस्ट लाईट व एक लोमस ऋषि मन्दिर के पास लगवाने के कार्य बिलों का भुगतान श्री संजय व श्री अजय कालिया संविदाकारों को क्रमशः वाउचर संख्या 12 व 13 द्वारा ₹436500 प्रत्येक कुल ₹873000 का किया गया। इन कार्यों हेतु अधिशाषी अभियन्ता लोक निम्रण (विद्युत) से पृथक–2 दो तकनीकी स्वीकृतियां प्राप्त कर कार्य निष्पादित किया गया।

प्रधान सचिव शहरी विकास हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचित म्यूनिशिपल उप नियम 2006 की धारा 32 में स्पष्ट किया गया था कि "there will be no spilting up of estimate for any the work" अतः नियमों की अनदेखी कर कार्य विभाजन व आवंटन बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व कुल कार्य की तकनीकी स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त कर आगामी लेखा परीक्षण में पुष्टि हेतु प्रस्तुत की जाए।

13. हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत वोर्ड से ₹0.13 लाख की प्रतिभूति राशि को प्राप्त न करना:–

वैशाखी मेला 2013 के आयोजन हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत वोर्ड में रसीद संख्या 44 व 45 द्वारा क्रमशः ₹6271 कुल ₹12542 की राशि बिजली के अस्थाई मीटर लगाने हेतु प्रतिभूति के तौर पर जमा किए गए, लेकिन बिजली की बिलों के भुगतान उपरान्त थी प्रतिभूति की राशि सम्बन्धित विभाग से प्राप्त ही नहीं कि गई। इस राशि को अविलम्ब विद्युत बोर्ड से वसूल किया जाए।

14. मल्लयुद्ध वर्ष 2013 (अप्रैल) हेतु निजि समिति द्वारा एकत्रित चन्दे की प्राप्ति का अभिलेख प्रस्तुत न करना:–

वैशाखी मेला मल्लयुद्ध हेतु निजि (प्राईवेट) समिति द्वारा आयोजित किया गया व मल्लयुद्ध हेतु ₹95025 का व्यय निजि समिति द्वारा किया गया। यह राशि विभिन्न दुकानदारों से चन्दा एकत्रित कर व्यय की गई, लेकिन चन्दा प्राप्ति का कोई भी अभिलेख अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं कराया गया।

15. मल्लयुद्ध वर्ष 2014 (अप्रैल) हेतु मुद्रित 21 रसीद बुकों से बची आधी–अधूरी बुकों को निरस्त न करने बारे :–

वैशाखी मेला 2014 हेतु नगर पंचायत द्वारा 21 रसीद बुकें चन्दा एकत्रिकरण हेतु मुद्रित कर पार्षदों, पाठशालाओं व विभिन्न विभागों को बांटी गई, जिनमें से ज्यादातर आधी–अधूरी वापिस नगर पंचायत में प्राप्त हुई। शेष बची रसीदों को सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर से निरस्त किया जाए।

वैशाखी मेला मल्लयुद्ध हेतु छोटी कुश्तियों हेतु ₹15424 व बड़ी कुश्तियों हेतु ₹35100 का व्यय किया गया। इस व्यय हेतु कुश्ती में भागीदारों से वास्तविक भुगतान रसीद नहीं ली गई और न ही व्यय को मेला समिति द्वारा सत्यापित कराया जाए। इसी प्रकार ₹5500 का भुगतान विभिन्न पाठशालाओं, किसान मण्डल व महिला मण्डलों को किया गया दर्शाया गया, लेकिन वास्तविक भुगतान रसीद प्राप्त नहीं की गई। अतः अभिलेख को सम्पूर्ण कर व्यय को सत्यापित कर आगामी लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत किया जाएं।

16. निर्माण कार्य बिलों से लेबर सैस ₹0.32 लाख की कटौती न करने बारेः–

The Building & other constraction workers welfare ------ 1996 की धारा (3)(1) के अन्तर्गत कुल निष्पादित निर्माण कार्य से 1% लेबर सैस की कटौती करने के उपरान्त सम्बन्धित विभाग जमा की जानी आपेक्षित थी। लेकिन नगर पंचायत द्वारा ₹31567 परिशिष्ट "छ" के अनुसार लेबर सैस की राशि ₹31567 की वसूली सम्बन्धित संविदाकारों से नहीं की गई।

अतः ₹31567 की राशि उचित स्त्रोत से वसूल करके सम्बन्धित विभाग में जमा करवाई जाए। अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

17. ट्रैक्टर की खरीद पर राशि ₹2.45 लाख निरर्थक व्ययः–

एक छोटा ट्रैक्टर (महिन्द्रा यूवराज 2015) मै0 वी0एन0 आटोमोबाईल भंगरोटु से वाउचर संख्या 9 माह 11/2013 द्वारा ₹245000 में खरीद किया गया। खरीद के एक वर्ष 10 माह तक इसका उपयोग ही नहीं किया गया और न ही इसे पंजीकरण किया गया है। अतः अनावश्यक खरीद के कारण नगर पंचायत द्वारा राशि का निरर्थक व्यय किया गया है। यह मामला निदेशक शहरी विकास हिमाचल प्रदेश के ध्यानार्थक यथोचित कार्रवाई हेतु लाया जाता है।

18. **लघु आपत्ति विवरणिका :–**यह अलग से जारी नहीं की गई है।

19. **निष्कर्षः–** लेखों के रख–रखाव में सुधार की आवश्यकता है। निर्माण सम्बन्धित कार्यों के अभिलेख के रख–रखाव में विशेष पर्यवेक्षण की आवश्यकता है।

हस्ता/–
उप सहायक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश,शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्या :वित्त(ले0प0)–मु0(2)सी 15(v)-98/92–734–735, दिनांक 30.1.16

शिमला–171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :–

1. निदेशक शहरी विकास हिमाचल प्रदेश शिमला–171009

पंजीकृत 2.सचिव नगर पंचायत रिवालसर, जिला मण्डी हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में उठाई गई आपत्तियों का सटिप्पण उत्तर इस विभाग को प्रतिवेदन जारी होने के एक मास के भीतर प्रेषित करें।

हस्ता/–'
उप सहायक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश,शिमला–171009.

पैरा संख्या : 1(ग) में सन्दर्भित

गत अंकेक्षणः–

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में शेष पैरों की नवीनतम स्थिति निम्न प्रकार से थी।

(क) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 2/89 से 3/93

1.	पैरा 6	अनिर्णीत
2.	पैरा–7(क)	अनिर्णीत
3.	पैरा–7(ख)	अनिर्णीत
4.	पैरा–8(1)	अशंत निर्णीत
5.	पैरा–8(2)	अनिर्णीत
6.	पैरा–8(3)	अनिर्णीत
7.	पैरा–8(5)(1,2)	अनिर्णीत
8.	पैरा–8(6)(क)	अनिर्णीत
9.	पैरा–8(6)(ख)	अनिर्णीत

10.	पैरा–8(7)	अनिर्णीत

(ख) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/93 से 3/95

1.	पैरा–4(5)	अनिर्णीत
2.	पैरा–4(6)	अनिर्णीत
3.	पैरा–4(7)	अनिर्णीत
4.	पैरा–8(8)(1,2)	अशंत निर्णीत
5.	पैरा–8(3)	अनिर्णीत
6.	पैरा–9	अनिर्णीत
7.	पैरा–10	अनिर्णीत
8.	पैरा–11(1)	अनिर्णीत
9.	पैरा–11(2)	अनिर्णीत
10.	पैरा–11(3)	अनिर्णीत
11.	पैरा–11(4)	अनिर्णीत
12.	पैरा–11(5)	अनिर्णीत
13.	पैरा–11(6)	अनिर्णीत
14.	पैरा–11(7)	अनिर्णीत
15.	पैरा–11(8)	अनिर्णीत
16.	पैरा–11(10)	अनिर्णीत
17.	पैरा–11(12)	अनिर्णीत
18.	पैरा–12(1)	अनिर्णीत
19.	पैरा–13(1)	अनिर्णीत
20.	पैरा–13(2)	अनिर्णीत
21.	पैरा–13(3)	अनिर्णीत
22.	पैरा–13(4)	अनिर्णीत

(ग) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/95 से 3/2001

1.	पैरा–4	अनिर्णीत
2.	पैरा–6	अनिर्णीत
3.	पैरा–7	अनिर्णीत
4.	पैरा–8(क)	अशंत निर्णीत
5.	पैरा–8(ख)	अनिर्णीत
6.	पैरा–8(ग)	अनिर्णीत
7.	पैरा–8(घ)	अनिर्णीत
8.	पैरा–8(ङ)	अनिर्णीत
9.	पैरा–8(च)	अनिर्णीत
10.	पैरा–9(क)(i)	अनिर्णीत
11.	पैरा–9(क)(ii)	अनिर्णीत
12.	पैरा–9(क)(iii)	अनिर्णीत
13.	पैरा–9(ख)	अनिर्णीत
14.	पैरा–10(क)	अनिर्णीत

15.	पैरा–10(ख)	अनिर्णीत
16.	पैरा–11	अनिर्णीत
17.	पैरा–12	अनिर्णीत
18.	पैरा–13	अनिर्णीत
19.	पैरा–14	अनिर्णीत
20.	पैरा–15	अनिर्णीत
21.	पैरा–16(क)	अनिर्णीत
22.	पैरा–16(ख)	अनिर्णीत
23.	पैरा–16(ग)	अनिर्णीत
24.	पैरा–16(घ) से (ङ)	अनिर्णीत
25.	पैरा–16(च) से (झ)	अनिर्णीत
26.	पैरा–17(क)(1 से 6)	अनिर्णीत
27.	पैरा–17(ख) (1 से 6)	अनिर्णीत
28.	पैरा–17(क से ङ)	अनिर्णीत
29.	पैरा–17(च)(1,2)	अनिर्णीत
30.	पैरा–17(छ)(क से ग)	अनिर्णीत
31.	पैरा–17(ज) (1 से 3)	अनिर्णीत
32.	पैरा–18	अनिर्णीत
33.	पैरा–19(क से ग)	अनिर्णीत
34.	पैरा–20(i,ii)	अनिर्णीत
35.	पैरा–20(iii)(क से ग)	अनिर्णीत
36.	पैरा–20(iv)	अनिर्णीत
37.	पैरा–20(v)	अनिर्णीत
38.	पैरा–20(vi)	अनिर्णीत
39.	पैरा–21	अनिर्णीत
40.	पैरा–22	अनिर्णीत
41.	पैरा–23	अनिर्णीत
42.	पैरा–24	अनिर्णीत
43.	पैरा–25	अनिर्णीत

अवधि 4/95 से 3/2001 की अवधि की पैरा संख्या 25 में दर्शाई लघु आपत्ति विवरणी अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाई गई तथा उपरोक्त प्रतिवेदनों के पैरों को निरस्त करने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गई।

(घ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2001 से 3/2009

1.	पैरा–2(क,ख)(1,2)	अनिर्णीत
2.	पैरा–4(ख)	अनिर्णीत
3.	पैरा–4(घ)	अनिर्णीत
4.	पैरा–4(ङ)(1 से 3)	अनिर्णीत
5.	पैरा–4(च)(1 व 2)	अनिर्णीत
6.	पैरा–4(छ)	अनिर्णीत
7.	पैरा–4(ज)	अनिर्णीत
8.	पैरा–4(झ)	अनिर्णीत
9.	पैरा–4(ञ)	अनिर्णीत
10.	पैरा–4(ट से ढ)	अनिर्णीत

11.	पैरा–5(क से ग)	अनिर्णीत
12.	पैरा–6(क से ग)	अनिर्णीत
13.	पैरा–6(ङ से थ)	अनिर्णीत
14.	पैरा–7(क से थ)	अनिर्णीत
15.	पैरा–8	अनिर्णीत
16.	पैरा–9	अनिर्णीत

(ङ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2009 से 3/2011

1.	पैरा–6(घ)	अनिर्णीत
2.	पैरा–8(क)	अनिर्णीत
3.	पैरा–8(ख)	अनिर्णीत
4.	पैरा–8(घ) (i से iii)	अनिर्णीत
5.	पैरा–8(ङ)	अनिर्णीत
6.	पैरा–9(क)	अनिर्णीत
7.	पैरा–9(ख)	अनिर्णीत
8.	पैरा–9(ग)	अनिर्णीत
9.	पैरा–9(घ)	अनिर्णीत
10.	पैरा–9(घ) (i से ii)	अनिर्णीत

(च) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2011 से 3/2013

1.	पैरा–3	निर्णीत	
2.	पैरा–8(क)	निर्णीत	सार्वधिक जमा राशि संशोधित पुनः प्रारूपित
3.	पैरा–4(घ)	अनिर्णीत	
4.	पैरा–5(क)	निर्णीत	संशोधित पैरा पुनः प्रारूपति
5.	पैरा–6(क)	अनिर्णीत	
6.	पैरा–6(ख)	निर्णीत	संशोधित व पुनः प्रारूपति
7.	पैरा–6(ग)	अनिर्णीत	
8.	पैरा–6(घ)	निर्णीत	पैरा पुनः संशोधित
9.	पैरा–6(ड)	निर्णीत	पैरा पुनः संशोधित
10.	पैरा–7	अनिर्णीत	अंकेक्षण द्वारा जन्म तिथि में काट छांट की आशंका से उठाई आपत्ति व नगर पंचायत द्वारा जांच में उठाई आपत्ति की जांच पाठशाला अभिलेख से करने के बाद कर्मचारी के लिखित अनुरोध से श्री दत्त राम 31.5.2013 को सेवानिवृत किए। कर्मचारी को 22 माह विलम्ब सेवानिवृति के फलस्वरूपअ अधिक वेतन भुगतान का सक्षम प्राधिकार से स्वीकृत किया जाए।
11.	पैरा–8(क)(i)	अनिर्णीत	
12.	पैरा–8(क)(ii)	अनिर्णीत	25 वैग सीमेण्ट की वसूली उचित स्त्रोत से की जाए।
13.	पैरा–8(ख)(i)	अनिर्णीत	₹16020 की वसूली संविदाकार से की जाए।
14.	पैरा–8(ग)(i)	अनिर्णीत	₹16020 की वसूली संविदाकार से की जाए।
15.	पैरा–8(घ)(i)	अनिर्णीत	68 बैग सीमेण्ट की वसूली की जाए।
16.	पैरा–8(ध)(ii) व (ण)	अनिर्णीत	